राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 11(2)वित्त/कर/2018 जयपुर, दिनांक : 09 JAN 2019

समस्त अधिकारीगण,
राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा।

विषयः—समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से login कर राज—काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑनलाईन स्वयं के द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2019 तक भरने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राज्य सरकार के कार्मिक (क—1/गो0प्र0) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क—1/गो.प्र./2011 दिनांक 31.12.2018 की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि इसमें दिये गये निर्देशानुसार समस्त अधिकारीगण को वर्ष 2018 (01 जनवरी, 2019 की स्थिति में) अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से Log in कर राज—काज सॉफ्टवेयर में IPR-MODULE द्वारा ऑनलाईन स्वयं दिनांक 31.01.2019 से पूर्व भरना है। वर्ष 2018 के पश्चात्वर्ती वर्षो का अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से Log in कर राज—काज सॉफ्टवेयर में IPR-MODULE द्वारा ऑनलाईन दिनांक 31 जनवरी 2019 से पूर्व भरना अनिवार्य है।

इस संबंध में प्रक्रिया का प्रारूप एवं संबंधित अधिकारियों के दूरभाष एवं सम्पर्क की सूचना भी संलग्न है।

कार्मिक विभाग द्वारा उक्त परिपत्र में यह स्पष्ट वर्णित किया गया है की जिन अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति विवरण उपर्युक्त समय सीमा में नही भरा जाएगा तो उन्हे विजीलेंस क्लीयरेंस पदोन्नति का परिलाभ व वेतन वृद्धि नहीं दी जावेगी।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि आप अपना अचल सम्पत्ति का विवरण दिनांक 31.01.2019 से पूर्व भरना सुनिश्चित करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
4. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।

संयुक्त शासन सचिव